

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

विशेष सत्र

शनिवार, 27 मई, 2017/6 ज्येष्ठ, 1939 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

- (i) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 7); और
- (ii) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 8) ।

3. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्यान्तरिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 6)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्यान्तरिक प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्यांक 6)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

शिमला-171 004
दिनांक: 26 मई, 2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)